उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद
U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
निकट राजकीय उद्यान, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ–226005
Near Rajkiya Udhyan, Cariappa Road, Alambagh, Lucknow-226005

पत्रांक: 86/एनआरएम/डब्लूबीएसएलएएजी/पीएल/2021 दिनॉक: 17–04–2025

दिनांक : 17 अप्रैल, 2025 **समय : 12:00 बजे**
स्थान : उपकार सभाकक्ष **उपस्थितिः संलग्न**

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2025–26 की द्वितीय बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियाँ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2025–26 की द्वितीय बैठक, डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक एवं पादप रोग वैज्ञानिक; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के धान प्रजनक एवं मौसम वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ; पशुपालन विभाग; रेशम विभाग; मत्स्य विभाग; उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, लखनऊ तथा उपकार के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के कीट वैज्ञानिक एवं मौसम वैज्ञानिक; रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के तिलहन एवं दलहन वैज्ञानिक; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

आगामी सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान (17–24 अप्रैल, 2025)

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के आरंभिक चरण में 20 अप्रैल तक के प्रदेश में कहीं–कहीं मेघगर्जन, वज्रपात व तेज झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की वर्षा व ओलावृष्टि होने की संभावना है।

प्रदेश के उत्तर–पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र एवं दक्षिणी–पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा संलग्न पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से (1 से 2 डिग्री सेल्सियस) अधिक जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी–पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से (1 से 2 डिग्री सेल्सियस) अधिक जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से (2 से 3 डिग्री सेल्सियस) अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस; भाभर तराई एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के शेष भाग तथा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तथा अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

प्रदेश में 20 अप्रैल के बाद तापमान में क्रमिक वृद्धि जारी रहने से आने वाले दिनों में कहीं–कहीं लू की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जिसके लिये नियमित दैनिक मौसम पूर्वानुमान देखते रहे।

आगामी द्वितीय सप्ताह के मौसम का दृष्टिकोण (25 अप्रैल-01 मई, 2025)

इस सप्ताह के अंतिम चरण में प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र व उसके आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य के आस-पास जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य से आंशिक रूप से (1 से 2 डिग्री सेल्सियस) अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई एवं उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के शेष भाग तथा मध्य पश्चिमी मैदानी एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस; दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग एवं बुंदेलखंड के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (1 से 2 डिग्री सेल्सियस) अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई क्षेत्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग तथा उत्तर-पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी एवं विंध्य क्षेत्र के पूर्वी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस; दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग एवं बुन्देलखंड क्षेत्र के संलग्न पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तथा अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मौसम के परिप्रेक्ष्य में किसानों को फसल प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

- वर्तमान ग्रीष्म/मानसून पूर्व ऋतु के दौरान ओलावृष्टि, मेघगर्जन, वज्रपात, आंधी-तूफान, लू की संभावना रहती है अतः दैनिक व तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान व चेतावनियों पर ध्यान दें तथा दिये गये निर्देशों का तद्नुसार पालन व सुरक्षात्मक उपाय करें ताकि जान माल के हानि से बचाया जा सकें।
- उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में फसल अवशेषों को जलाना प्रतिबन्धित है साथ ही साथ कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन के साथ स्ट्रा रीपर विद बाइन्डर अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त के दृष्टिगत किसान फसल अवशेषों को खेतों में कदापि न जलाएं। उपकार तथा केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान-क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ द्वारा विकसित जैविक फॉरमुलेशन हेलो-केयर का प्रयोग कर खेत में ही फसल अवशेषों को 21 से 24 दिन में सड़ाया जा सकता है जिससे फसल अवशेष का जीवांश कार्बन और पोषक तत्वों को मृदा में पुर्नचक्रण होता है जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हेलो-केयर केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान-क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ पर उपलब्ध है जहां से किसान भाई इसे प्राप्त कर सकते हैं।
- जो खेत खाली हैं उन खेतों का मृदा परीक्षण करा लें तथा मृदा परीक्षण के आधार पर ही आगामी फसलों में संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें।
- पानी की उपलब्धता की दशा में धान की रोपाई वाले प्रक्षेत्रों में हरी खाद के लिए सनई एवं ढ़ैंचा की बुआई करें।
- खाली खेतों में गर्मी की गहरी जुताई, मेड़ों की साफ-सफाई, आवश्यकतानुसार मेड़बंदी करें तथा असमतल खेतों का लेजर लेवलर द्वारा समतलीकरण करें।
- वर्तमान मौसम में सब्जियों में उकठा (विल्ट) आने की संभावना है ऐसी दशा में कार्बेन्डाजिम 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें तथा 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
- आम के भुनगा कीट की रोकथाम हेतु इमिडाक्लोप्रिड 30.5 प्रतिशत एस.सी. (3.0 मिली0/10 लीटर) एवं प्रोफेनोफास 50 प्रतिशत ई.सी. (1 मिली0/लीटर) पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

जायद फसलों की खेती

- मूँग में पहली सिंचाई बुआई के 30-35 दिन के बाद करें।
- उर्द/मूँग की फसल में 5 से 10 पौढ़ मक्खी (सफेद मक्खी) प्रति पौध की दर से दिखाई पड़ने पर आक्सीडेमेटॉन-मिथाइल 25 प्रतिशत ई.सी. या डाइमेथोएट 30 ई.सी. 1 लीटर प्रति हे. की दर से 600-800 ली. पानी मिलाकर छिड़काव करना चाहिये।
- उर्द/मूँग की फसल में पीला चित्रवर्ण (मोजैक) रोग दिखाई देते ही प्रभावित पौधे सावधानीपूर्वक उखाड़ कर नष्ट (जला दे/गाड़ दें) कर दें।
- मूंग/उर्द में थ्रिप्स के लिये निगरानी रखें। प्रथम सिंचाई के पहले नियंत्रण हेतु सुरक्षात्मक जैविक कीटनाशक नीम ऑयल 0.15 प्रतिशत ई.सी. 2.5 लीटर की दर से 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- मूंगफली में सल्फर और बोरान की कमी होने पर जिंक सल्फेट 0.5 प्रतिशत तथा बोरेक्स 0.3 प्रतिशत का छिड़काव करें।
- जायद मक्के में नत्रजन की पहली टॉपड्रेसिंग करें

गेहूँ की खेती

- यदि गेहूं की तैयार फसल की कटाई अभी तक नहीं कर पायें है तो तत्काल करें। वर्तमान में तापमान अधिक होने के कारण गेहूँ की थ्रेसिंग व गेहूँ को सुखाने के लिए मौसम अनुकूल है। अतः साफ मौसम की स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र गेहूँ की थ्रेसिंग कर भण्डारण करें।
- फसल कटाई-मड़ाई के उपरांत भण्डारण से पूर्व अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें, जिससे नमी की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक न हो इसके लिये किसान भाई दानों को दांतों के नीचे दबाने से कट की आवाज आने पर इसे भण्डारण करने योग्य समझें।
- अनाज को धातु की बनी बखारियों अथवाा कोठिलों, बोरियों या कमरें में जैसी सुविधा हो भण्डारण करें। भण्डारण के लिए धातु की बनी बखारी बहुत ही उपयुक्त है। भण्डारण के पूर्व कोठिलों तथा कमरे को साफ कर लें और दीवालों तथा फर्श पर मैलाथियान 50 प्रतिशत के घोल (1:100) को 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से छिड़काव के बाद करें तथा सूखने के उपरान्त भण्ड़ारण करें। बखारी के ढक्कन पर पालीथीन लगाकर मिट्टी का लेप कर दें जिससे वायुरोधी हो जायें।

गन्ना की खेती

- गेहूँ के बाद यदि गन्ना बोना हो तो तत्काल सिंचाई कर ओट आने पर खेत तैयार कर बुवाई करें। यदि संभव हो तो बीज गन्ना हेतु ऊपरी 1/3 भाग का ही प्रयोग करें। बीज गन्ना को पानी में कम से कम रात भर भिगोने के उपरांत दो या तीन ऑख के टुकड़े काटकर 60 सेमी. की दूरी पर इथरेल 100 पी. पी.एम. घोल से उपचारित कर बुवाई करें।
- फरवरी-मार्च में रखे गए पेड़ी गन्ना में काला चिकटा का प्रकोप होने पर 5 लीटर क्लोरपाईरीफॉस 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- चोटीबेधक से ग्रसित पौधों को पतली खुरपी द्वारा भूमि सतह से काटकर चारे में प्रयोग करें। पत्तियों की निचली सतह पर अण्ड समूहों को देखकर पत्ती काटकर निकाल लें तथा अण्डों को नष्ट करें।
- गन्ने में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिये 2,4 डी सोडियम सॉल्ट 80 प्रतिशत, 1.25 कि.ग्रा. प्रति हे. की दर से प्रयोग करें।
- शरदकालीन बावग गन्ने में अन्तःफसल की कटाई/खुदाई के पश्चात फसल अवशेष मृदा में मिला दें तथा सिंचाई पश्चात 130 किग्रा. यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की लाइनों में टॉप ड्रेसिंग कर दें।

सब्जियों की खेती

- कद्दूवर्गीय फसलों में यदि हरा फुदका कीट 10 की संख्या में प्रति हिल दिखाई दे तो फल तुड़ाई उपरान्त फसल पर इमिडाक्लोरोपिड 30.5% S.C. 1.0 मिली. दवा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें जबकि तना व फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्लुबेन्डीमाइड 39.35 S.C. की 1.0 मिली. दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- मिर्च में पर्णकुंचन एवं मोजैक विषाणु रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग का प्रसार वाहक कीट सफेद मक्खी या हापर कीट के द्वारा होता है। इसके प्रसार की रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार इमिडाक्लोप्रिड 30.5% S.C. 1.0 मिली. दवा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10-12 दिनों के अन्तराल पर छिड़काव करें तथा रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें अथवा मिट्टी में दबा दें।
- बैंगन एवं टमाटर की फसल को तना और फलबेधक कीट से बचाव के लिए क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल कीटनाशी की 1.0 मिली0 मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।
- भिण्डी की फसल में सफेद मक्खी के द्वारा पीत शिरा मोजैक विषाणु रोग फैलता है। इसका प्रकोप पत्तियों एवं फलों पर होता है, पौधे एवं फलों की बढ़वार रूक जाती है। फल एवं पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित पौधे उखाड़कर जला दें या मिट्टी में दबा दें तथा रोग वाहक कीट को नीला चिपचिपा ट्रैप 8 से 10 ट्रैप प्रति हे0 लगायें। इसके रासायनिक उपचार में इमिडाक्लोरोपिड 30.5% S.C. 1.0 मिली0 दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- भिण्डी की शाखा एवं फल बेधक कीट के नियंत्रण हेतु फेरोमोन ट्रैप 5 प्रति हेक्टर फसल में 6 से 12 इंच ऊपर लगायें अथवा फ्लुबेन्डीमाइड 39.35 S.C. की 2.0 मिली0 प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव फल तुड़ाई उपरान्त सायं काल में करें।
- कद्दूवर्गीय फसलों को फल मक्खी से बचाने हेतु क्यू ल्योर फेरोमोन ट्रैप 8-10 ट्रैप प्रति हे0 की दर से लगायें।

बागवानी

- लीची, आम व केले के बागों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
- नीबू वर्गीय फलों में नीबू की तितली के गिडार की रोकथाम हेतु 5 प्रतिशत एलसान धूल का भुरकाव करें।
- पपीते के बीज की बुआई ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके करें।
- वर्तमान मौसम में आम के फलों को आंतरिक ऊतक क्षय (फ्रूट निक्रोसिस) से रोकथाम हेतु बोरेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें।
- आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नैप्थलीन एसिटिक एसिड (एन.ए.ए.) 20 पी.पी.एम. अथवा प्लेनोफिक्स 90 मिली/200 लीटर पानी का छिड़काव करें।
- आम में गुम्मा व्याधि से ग्रसित बौर को निकाल कर जला दें।
- लीची में पत्ती मरोड़क (लीफ फोल्डर) की रोकथाम के लिए बाईफेनथ्रिन कीटनाशी 10 प्रतिशत ई.सी. 1.0 मिली0 मात्रा अथवा लैम्डासाइहलोथ्रिन 5 प्रतिशत ई.सी. कीटनाशी की 2.0 मिली0 मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तथा आवश्यकतानुसार 10 से 15 दिन बाद द्वितीय छिड़काव करें।
- केले में यदि 1 कि.ग्रा. गोबर की खाद के साथ 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर नमी की दशा में गुड़ाई करके मिला दें।
- आम की फसल में लगने वाला कैटरपिलर (कटर कीट) के नियंत्रण हेतु स्पाइनेटोरेम 1 मिली0 प्रति 3 लीटर पानी के साथ घोलकर प्रथम छिड़काव करें तथा आवश्यकतानुसार 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करें।

- आम के विभिन्न प्रकार के रोगो एवं कीट से होने वाले कुप्रभाव, फल आकर्षण तथा साफ-सुथरा प्राप्त करने हेतु फ्रूट कवर बैग का प्रयोग जरूर करें।
- लीची के फल को फ्रूट कैकिंग से बचाने के लिए शाम के समय निश्चित अंतराल पर सिंचाई करते रहें तथा कैल्सियम नाइट्रेट 1.0% बोरेक्स 0.8% का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव भी करें।
- लीची में फल बेधक कीट की रोकथाम के लिए इन्डाक्साकार्व 14.5 S.C. की 1.0 मिली० अथवा फ्लुबेनडीमाइड 39.35 S.C. की 2.0 मिली० मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- आम एवं अमरूद में फलमक्खी से बचाव हेतु मिथाइल यूजिनाल एवं क्यू ल्योर ट्रैप 8-10 ट्रैप प्रति हे० लगाये तथा नीम एक्सट्रैक्ट 5% प्रति लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।
- नीबू एवं आंवला के बागों में फूल खिलने का समय है इसलिए किसी भी तरह से पानी नही देना चाहिए।

पशुपालन

- पशुओं में एच.एस. एवं बी.क्यू. बीमारी का टीकाकरण कराया जा रहा है। यह सुविधा पशुचिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध है।
- जायद में हरा चारा लेने के लिये ज्वार एवं मक्का आदि की समय से बुवाई करें।
- पशुओं को संतुलित आहार के साथ खनिज मिश्रण अवश्य खिलायें एवं नमक का चाटन भी करायें।
- पशुओं को अंतः कृमिनाशक एवं बाह्य परजीवीनाशक पशुचिकित्सक की सलाह से आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करें।
- दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिये पूरा दूध निकालें और दूध दुहान के बाद थनों को कीटाणुनाशक पोटेशियम परमैंगनेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से साफ करें।
- पशुओं में बच्चा पैदा होते ही बच्चे की नॉल को 1.5 से 2.0 इंच पर धागे से बांधकर नये ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन का उपयोग करें।
- पशु ब्याने के दो घंटे के भीतर बच्चों को खीस अवश्य पिलायें।
- पशुओं को केवल हरा चारा न खिलायें उनको 60:40 के अनुपात में सूखा एवं हरा चारा मिलाकर खिलायें।
- बदलते तापमान को देखते हुये पशुओं को छायादार स्थान पर बांधे एवं पशुओं को दिन में कम से कम 2 बार पानी अवश्य पिलायें।
- सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़ एवं भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र, इटावा पर सम्पर्क कर पशुपालक भेंड़, बकरी एवं सूकर पालन विषय तक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- पं.दीन दयाल उपाध्याय योजना अन्तर्गत मण्डल/जिला स्तर पर मेलों का आयोजन किया जा रहा है, इन मेलों में निःशुल्क चिकित्सा दवापान के साथ-साथ गोष्ठियों का आयोजन भी सम्पादित किया जा रहा है, जिसका लाभ कृषक/पशुपालक अपने जनपदीय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर उठा सकते हैं।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं.-1962 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- जहां कहीं भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावनार हो, वहां पशुओं को खुले में न बांधे।

मत्स्य पालन

- मछली पालन हेतु तालाब बनाने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करें साथ ही पुराने तालाबों का सुधार/मरम्मत करें। नये तालाबों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दें।
- मत्स्य बीज उत्पादक ग्रास कार्प का ब्रिडिंग हैचरी में शुरू करें।
- आर्गुलस एवं कीड़ों का तालाब में संक्रमण होने पर कीड़ों को मारने हेतु ब्यूटाक्स का प्रयोग 80-100 एम. एल.प्रति एकड़ की दर से धूप रहने पर करें, जैविक एवं रासायनिक उर्वरक का प्रयोग विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करें।
- हैचरी संचालक/मत्स्य बीज उत्पादक अच्छे अण्डों का निषेचन दर एवं स्पॉन की उत्तरजीविता के लिए प्रोटीन युक्त आहार, प्रोबायोटिक का प्रयोग मछली के आहार में करें एवं नर/मादा का पृथक्कीकरण करें।
- तालाब में जलीय कीटों, खरपतवार एवं अवांछनीय मछलियों की सफाई थोड़े-थोड़े अन्तराल पर कराते रहें।
- इस महीने में तालाब में कॉमन कार्प मत्स्य बीज का संचय करें।
- तालाब मत्स्य बीज संचय से पहले 200-600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुझे हुए चूने का प्रयोग करें।
- प्लैंकटान नेट से नर्सरी/तालाब के पानी में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता की जाँच करनी चाहिए।
- तालाब में जाल चलवाकर संचित मत्स्य बीज की प्रगति एवं स्वास्थ्य की जाँच एवं उपचार समय-समय पर करते रहें।
- तालाब में पूरे वर्ष कम से कम 1.5 मीटर पानी का स्तर बना रहे ऐसी व्यवस्था करें।

रेशम पालन

- ग्रीष्म शहतूती व्यवसायिक फसल 2025 चाकी कीटपालन कार्य प्रगति पर है। इस हेतु कीटपालकों/कृषकों को सुझाव दिया जाता है कि कीटपालन गृह में आवश्यक तापमान व आर्द्रता बनाये रखे एवं कीटों की साफ-सफाई तथा फीडिंग समय से करें तथा आवश्यकतानुसार विजेता/आर.के.ओ. (रेशम कीट औषधि) का छिड़काव करें।
- कीटपालक/कृषकों को सुझाव दिया जाता है कि आगामी मानसून फसल जो माह अगस्त से प्रारंभ होगी, के लिये ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर विभागीय यू.आर.एल. http://sericulture.eservicesup.in पर अपना पंजीकरण करा लें। किसी भी प्रकार की असुविधा/जानकारी के लिये मो. नंबर 7388305554 पर संपर्क करें।

वानिकी

- खैर, ऑवला, अर्जुन के बीजों की बुवाई यदि अभी तक पूर्ण न की गई हो तो अंकुरण कक्ष में तुरन्त पूर्ण कर लें। आवश्यकतानुसार पौधों की सिंचाई करें।
- अधिक तापमान के दृष्टिगत अंकुरित पौधों को रूट ट्रेनर में प्रिंक कर छाया घर में रख दें।

राज्य आपदा प्रबंधन

- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त सूचना के आधार पर आसमानी बिजली के झटके, घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था करें। वज्रपात के कारण हुई मृत्यु के केस में पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा रू0 04.00 लाख की अहैतुक सहायता दी जाती है। वज्रपात से मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण वज्रपात का होना आवश्यक है।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 01 मई, 2025 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोटः- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट **upcar.up.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां किसान मित्र ए.आई. चैट बॉट **www.kisanmitraup.ai** पर भी उपलब्ध हैं। किसान भाई इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल **upcar12@gmail.com** पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

17/4/25

(संजीव कुमार)
उप महानिदेशक

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।

21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक।
43. कृषि विभाग के सभी उप कृषि निदेशक।
44. समस्त जिला कृषि अधिकारी।
45. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
46. समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ.प्र।
47. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
48. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
49. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
50. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

12-4-25

(विनोद कुमार तिवारी)
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2025-26 की द्वितीय बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2025 की उपस्थिति

1. डा. संजीव, उप महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
2. डा. विनोद कुमार तिवारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
3. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
4. डा. अनुष्का पाण्डेय, प्रोग्राम मैनेजर, क्राप वेदर वॉच ग्रुप, उपकार, लखनऊ।
5. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
6. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
7. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
8. डा. समीर कुमार विश्वास, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
9. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम विज्ञान विभाग), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
10. डा. संजय कुमार मिश्र, उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
11. श्री नीरेन्द्र कमार, सहायक निदेशक, रेशम, उत्तर प्रदेश।
12. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आवजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
13. डा. राकेश चौधरी, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)।
14. श्री गिरीश त्रिपाठी, सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
16. डा. राजेश कुमार, चारा विकास अधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
17. डा. प्रिया रंजन कुमार, सह प्राध्यापक (पशु चिकित्सा स्त्री रोग), बी.एच.यू. वाराणसी।